इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223 र

भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मई 2014—ज्येष्ठ 10, शक 1936

### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मई 2014

फा. 12-वि.निर्वा.-2014-चार-462.—राज्य सभा उप चुनाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती हैं:—

- (1) क्रमांक 100/CS-MP/8/2014(1), दिनांक 2 जून, 2014
- (2) क्रमांक 100/CS-MP/8/2014(2), दिनांक 2 जून, 2014

व्ही. एल. कान्ता राव, सचिव.

# भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2014—ज्येष्ठ 12, 1936 (शक)

### अधिसूचना

संख्या 100-रा.स.-म.प्र.-8-2014(1).—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का स्थान, उनकी पदाविध जो 2 अप्रैल, 2018 को सिम्मिलित करते हुए, उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व लोक सभा में उनका निर्वाचन हो जाने के कारण 16 मई, 2014 को रिक्त हो गया है; और

यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप निर्वाचन कराना है;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदृद्वारा :—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 21 जून, 2014 (शनिवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में,—

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 9 जुन, 2014 (सोमवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख : 10 जून, 2014 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 12 जून, 2014 (गुरुवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा : 19 जुन, 2014 (गुरुवार) और

(ङ) वह तारीख, जिससे पर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 21 जन, 2014 (शनिवार);

नियत करता है; और

(इ) 9:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ है तो निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से.

(के. अजय कुमार) प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, dated, 2nd June, 2014—Jyaishtha 12, 1936 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100-CS-MP-8-2014(1).—Whereas, the seat of Shri Faggan Singh Kulaste in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, has become vacant on 16th May, 2014 by the reason of his election to the House of the People, before the expiration of his term of office which was up to and including the 2nd April, 2018; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

Now, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

- (A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh to elect, before 21st June, 2014 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) appoints, with respect to the said election:—
  - (a) the 9th June, 2014 (Monday), as the last date for making nominations;
  - (b) the 10th June, 2014 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
  - (c) the 12th June, 2014 (Thursday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - (d) the 19th June, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - (e) the 21st June, 2014 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

(K. AJAYA KUMAR)

Principal Secretary, to the

Election Commission of India.

## भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2014—ज्येष्ठ 12, 1936 (शक)

### अधिसूचना

सं. 100-रा.स.-म.प्र.-8-2014(2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में, और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा तारीख 2 जून, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में, इस राज्य में राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन के संबंध में :—

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है :—

### सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
पदाभिहित अधिकारी	
(1)	(2)
प्रमुख सचिव,	श्री ए. पी. सिंह
मध्यप्रदेश विधान सभा.	अपर सचिव,
	मध्यप्रदेश विधान सभा.

आदेश से, हस्ता./-

(के. अजय कुमार) प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

### ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated the 2nd June, 2014—Jyaishtha 12, 1936 (Saka)

#### NOTIFICATION

No.100-CS-MP-8-2014(2).—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Madhya Pradesh, hereby:—

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

In respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 2nd June, 2014:—

#### **TABLE**

Officer Designated as Returning Officer (1)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (2)
Principal Secretary,  Madhya Pradesh Legislative Assembly.	Sh. A. P. Singh, Additional Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly.

By order, Sd./-

(K. AJAYA KUMAR)

Principal Secretary, to the

Election Commission of India.